उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 07/2017/1520/छप्पन-2016-06/2013

लखनऊ: दिनांक : 03 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2117/छप्पन-2012-35/2010, दिनांक 03.01.2013 के द्वारा मो0 अहमद सिद्दीकी को व्याख्याता (विद्युत) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 31,000/- (रूपये इकत्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। जिसके अनुपालन में मो0 अहमद सिद्दीकी द्वारा दिनांक 07.01.2013 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया था, इस प्रकार श्री सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 06.01.2015 को समाप्त हो गयी। तदोपरान्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2076/छप्पन-2014-06/2013, दिनांक 03.03.2015 द्वारा मो0 अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 07.01.2015 से 02 वर्ष अर्थात् दिनांक 06.01.2017 तक के लिए नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 50,160/- (रूपये पचास हजार एक सौ साठ मात्र) पर बढ़ायी गयी थी, जो दिनांक 06.01.2017 को समाप्त हो रही है। निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया है कि श्री सिद्दीकी ने अपनी संविदा अवधि अग्रेतर 02 वर्ष बढ़ाने का अनुरोध किया है और यह भी कहा गया है कि श्री सिद्दीकी द्वाराअपना कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जा रहा है। साथ ही निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ ने व्याख्याता (विद्युत) के पद पर श्री सिद्दीकी की संविदा अवधि अग्रेतर एक वर्ष बढ़ाने का प्रकरण शासन को संदर्भित किया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल व्याख्याता (विद्युत) के पद पर मो0 अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 07.01.2017 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 06.01.2018 तक) के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री सिद्दीकी को शासनादेश संख्या- 1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09.09.2014 के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक अनुमन्य होगा।

2- मो0 अहमद सिद्दीकी को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा।

3- मो0 अहमद सिद्दीकी से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)

सचिव।

मो0 अहमद सिद्दीकी, (संविदा)
व्याख्याता (विद्युत),
एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 7/2017/1520(1)/छप्पन-16-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मो0 अहमद सिद्दीकी से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।